न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री हवाई सिंह यादव, आर0ए0एस0**
राजस्व वाद संख्या : 35 / 2013

–: वादीगण :–	बनाम	–:प्रतिवादीगण :–
1. हेमाराम पुत्र तुलछाराम		1. डूंगरराम पुत्र जसाराम
2. मलाराम पुत्र तुलछाराम		2. कोजाराम पुत्र जसाराम
3. पेमाराम पुत्र तुलछाराम		3. रामजीवण पुत्र हेमाराम
4. राजाराम पुत्र घेवरराम		4. राजाराम पुत्र हेमाराम
5. झीपरराम पुत्र घेवरराम		5. सोहनी पत्नि हेमाराम
6. बादरराम पुत्र घेवरराम		जातियान माली निवासी भोपालगढ़
जातियान माली निवासी भोपालगढ़		तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर
तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर		6. तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः–

1. श्री मनोज कुमार जाखड़ अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री अशोक सैनी अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 01 से 05

–:: **निर्णय** ::– **दिनॉकः–12 / 10 / 2021**

वकील वादीगण ने एक वाद मय शपथ पत्र अंतर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया जिसमें निवेदन किया कि ग्राम भोपालगढ़ जे.बी. तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 421 जिसके खसरा नं. 3036 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी द्वितीय स्थित है जो वादीगण 01 से 03 की माता गेहरा बाई व वादीगण संख्या 04 से 06 की दादी गेहरा बाई की खरीद सुदा भूमि है जो विवादित भूमि है, जिसको दावे में आगे विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। विवादित भूमि वादीगण सं. 01 से 03 की माता गेहरा बाई व वादीगण संख्या 04 से 06 की दादी गेहरा बाई की खरीद सुदा भूमि है। उक्त भूमि खसरा नं. 3036 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी द्वितीय में से 07 बीघा 10 बिस्वा गेहरा बाई की खरीद सुदा भूमि दिनांक 05.05.1978 को उप पंजीयन कार्यालय बिलाड़ा में दस्तावेज संख्या 511 पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 35 पृष्ठ संख्या 13,14,15 पर पंजीबद्ध है। विवादित भूमि वादीगण संख्या 01 से 03 की माता गेहरा बाई व वादीगण संख्या 04 से 06 की दादी गेहरा बाई ने उक्त खसरा नं. 3036 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा भूमि डूंगरराम पुत्र जसाराम अपनी निजी हैसियत से अपने नाबालिग भाई कोजाराम व हेमाराम पिता जसाराम [illegible] की हैसियत से बहैसियत कर्ता संयुक्त हिन्दू परिवार की हैसियत से दिनांक 05.05.1978 को [illegible] दिनांक 29.04.2013 को वादीगण अपने नाम की जमाबंदी लेने के लिये पटवारी हल्का [illegible]गढ़ से मिले तो पटवारी ने जवाब दिया कि उक्त खसरा नं. 3036 की भूमि [illegible] नाम नामान्तरकरण भरा हुआ नही है। उक्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम ही दर्ज है तब हमारे होश उड़ गये इसलिये वादकारण ग्राम भोपालगढ़ जे.बी. में पैदा हुआ। अतः राजस्व ग्राम भोपालगढ़ जे.बी. तहसील भोपालगढ़ की सरहद में

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 10:06:25 IST
Reason: SelfAttested

भूमि खसरा नं. 3036 रकबा 07 बीघा 10 बिस्व गेहरा बाई के खरीद सुदा होने के कारण खातेदारी घोषित किये जाने का आदेश फरमावे तथा विवादित भूमि पर वादीगण का सम्पूर्ण हिस्सा पर कब्जा काश्त होने तथा हक घोषित होने पर स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 05 की ओर से श्री रामप्रकाश चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा तथा जवाबदावा मय काउंटर क्लेम पेश किया। प्रतिवादी संख्या 01 से 05 की ओर से पेश जवाबदावा में बताया गया कि ग्राम भोपालगढ़ जे.बी. तहसील भोपालगढ़ की सरहद में भूमि खसरा नं. 3036 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी द्वितीय आयी हुई अवश्य है लेकिन उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण जवाबदेहन्ता का है। वादीगण का यह कथन सरासर गलत व मिथ्या है कि उपरोक्त भूमि जवाबदेहन्ता से वादीगण संख्या 04 से 06 की दादी गेहरा बाई ने खरीदी हो, वादीगण व वादीगण के परिवार के सदस्यों ने फर्जी कूटरचित दस्तावेज पेश किया है जो अपने आप में शून्यकरणीय है तथा जवाबदेहन्ता के हितों के प्रति निष्प्रभावी है। वादीगण के पूर्वजों की सोची समझी षडयंत्रपूर्वक योजना बंद तरीके से प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि को हड़पने के उद्देश्य से फर्जी दस्तावेज तैयार कर लम्बे समय तक गोपनीय रूप से छिपाया रखा व अब न्यायालय में गलत आधारों पर दावा पेश किया है, वादीगण न्यायालय में साफ हाथों से नहीं आये है। वादीगण व वादीगण के पूर्वजों द्वारा फर्जी बनाये गये दस्तावेजों के खिलाफ प्रतिवादीगण जवाबदेहन्ता द्वारा फौजदारी मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। प्रथत दृष्ट्या प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादीगण व वादीगण के पूर्वजों के पक्ष में कभी भी किसी भी प्रकार का रजिस्टर्ड अन रजिस्टर्ड बेचाननामा नहीं किया था तथा कानूनन प्रतिवादी संख्या 01 को प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के नाबालिग उम्र में प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 04 के पिता व प्रतिवादी संख्या 05 के पति हेमाराम का हिस्सा बेचान करने का कानूनन अधिकार भी नहीं था। इसी प्रकार प्रतिवादी डूंगरराम कभी भी संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता खानदान नहीं रहे है। वादीगण ने अनुतोष की मांग विधि विरूद्ध फर्जी बनावटी तरीके से तैयार किये गये दस्तावेज को आधार बना कर तथा कब्जे के अभाव में झूठे आधारों पर की गई है, वादीगण किसी भी प्रकार का अनुतोष कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, वादीगण का वाद भारी कोस्ट पर खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादी संख्या 01 से 05 की ओर से पेश काउंटर क्लेम में बताया गया कि राजस्व ग्राम भोपालगढ़ जे.बी. तहसील भोपालगढ़ में प्रतिवादी संख्या 01 से 05 की पुश्तैनी भूमि खेत खसरा नं. 3036 कुल रकबा 15 बीघा किस्म बारानी द्वितीय आयी हुई है जिसमें प्रतिवादीगण का 1/2 बंट व हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण का उक्त हिस्से पर लम्बे समय से यानि पूर्वजों के समय से पूर्वजों के साथ तथा अब पूर्वजों के संसार से चले जाने के बाद प्रतिवादीगण का, प्रतिवादीगण के परिवार कुटुम्ब के साथ भौतिक रूप से कब्जा काश्त रहा है। वादीगण व वादीगण के पूर्वजों से मिली भगत कर एक फर्जी दस्तावेज बनाकर फर्जी दस्तावेज को लम्बे समय तक छिपाकर रखकर अब उस फर्जी दस्तावेज के आधार पर मनगढन्त बनावटी आधारों पर खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया है जिसमें वादीगण को नाममात्र की सफलता मिलने की आशा नहीं है। वास्तविकता यह है कि वा[illegible] आये है, वादीगण ने न्यायालय से सत्यता को छिपाया है। विवादित भूमि पर वादी[illegible] का [illegible] नहीं है। मात्र प्रतिवादीगण के खातेदारी हक हकूकों को हडपने के लिये योजनाबद्ध तरीके से दा[illegible]कर प्रतिवादीगण के नाम के नोटिस मिलने पर प्रतिवादीगण को आश्चर्य [illegible] रहते है। विवादित भूमि प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की पुश्तैनी भूमि है जिस पर प्रतिवादीगण क[illegible]तिक रूप से कब्जा काश्त है, प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी प्रकार के रजिस्टर्ड अन रजिस्टर्ड दस्तावेज बनाने में सहयोग सहमति

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 10:06:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

नहीं दी थी न ही हस्ताक्षर अंगूठे किये थे, इसलिये वादीगण द्वारा पेश किया गया तथाकथित फर्जी बनावटी बेचाननामा दिनांक 05.05.1978 को प्रतिवादीगण के हितों के प्रति निष्प्रभावी घोषित किया जावे। साथ में प्रतिवादीगण का यह भी निवेदन है कि प्रतिवादीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं.3036 के 1/2 हिस्से पर प्रतिवादीगण के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे, इसलिये प्रतिवादीगण की ओर से विरूद्ध वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा का काउंटर क्लेम पेश है।

वादीगण की ओर से काउंटर क्लेम का जवाबुलजवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम भोपालगढ़ जे.बी. तहसील भोपालगढ़ के खसरा नं. 3036 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी द्वितीय वादीगण ने उक्त खसरा की भूमि दिनांक 05.05.1978 को 1/2 हिस्सा खरीद किया था तथा शेष 1/2 हिस्सा भी वादीगण ने दिनांक 30.06.1978 को खरीद कर लिया जिस पर आज तक कब्जा वादीगण का चला आ रहा है। वादीगण ने किसी प्रकार का न तो फर्जीवाड़ा कर रजिस्ट्री करवाई और न ही बनावटी आधारों पर स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया। वादीगण ने सत्यता के आधार पर वाद पेश किया तथा वादीगण अनपढ़ होने की वजह से ग्राम भोपालगढ़ जे.बी. खसरा नं. 3036 रकबा 15 बीघा भूमि अलग अलग तारीखों में खरीद की थी जिसमें 1/2 हिस्से का नामान्तरकरण पटवारी हल्के द्वारा दर्ज कर दिया गया तथा शेष 1/2 हिस्सा की भूमि का नामान्तरकरण पटवारी द्वारा दर्ज नही करने के कारण वाद पेश करना पड़ा। जब वादीगण को जानकारी हुई कि खसरा नं. 3036 सम्पूर्ण में नाम नहीं होने के कारण खातेदारी घोषणा का वाद पेश करना पड़ा जिसका उक्त खेत ग्राम भोपालगढ़ जे.बी. के खसरा नं. 3036 रकबा 15 बीघा सम्पूर्ण में वादीगण शांतिपूर्वक उपयोग व उपभोग कर रहे जो सही है। वादीगण द्वारा न तो मनगढंत बनावटी कूटरचित दस्तावेज के आधार पर वाद पेश किया है। वादीगण द्वारा शेष 1/2 हिस्से की भूमि का पंजीयन दस्तावेज का नामान्तरकरण नही भरने के कारण खातेदारी घोषणा करवाने के लिये उक्त वाद पेश किया है। अतः प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम खारिज करने का आदेश प्रदान करे तथा वादीगण को ग्राम भोपालगढ़ जे.बी. के खसरा नं. 3036 में 1/2 हिस्से में वादीगण रेकर्डड खातेदार है तथा खसरा नं. 3036 की बाकी भूमि में 1/2 हिस्सा में वादीगण को खातेदार घोषित करने का आदेश प्रदान करे।

प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गयी–

1. आया वादीगण वादग्रस्त आराजियात खसरा नं. 3036 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा के खातेदारी उद्घोषणा के अधिकारी है ? –वादीगण

2. आया वादीगण वादग्रस्त आराजियात पर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है ? –वादीगण

3. आया वादग्रस्त आराजी पर 1/2 हिस्सा के खातेदार प्रतिवादीगण है? –प्रतिवादी सं. 01 से 05

4. आया प्रतिवादीगण वादीगण के विरूद्ध स्वयं के हिस्से की भूमि तक स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है? –प्रतिवादी सं. 01 से 05

प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड क[illegible] प्रतिवादीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 01 से 05 की [illegible] श्री अशोक सैनी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। वादीगण की ओर से वादी संख्या [illegible] संख्या 03 पेमाराम के साक्ष्य शपथपत्र पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के अधिवक्ता [illegible] जाहिर किया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 10:06:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ (जोधपुर)

साक्ष्य वादी जिरह व साक्ष्य प्रतिवादी पेश नही करना चाहते। अतः साक्ष्य वादी जिरह व साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गयी। वकुलाय उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। प्रकरण का तनकीवार विवेचन निम्न है–

1. आया वादीगण वादग्रस्त आराजियात खसरा नं. 3036 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा के खातेदारी उद्घोषणा के अधिकारी है – राजस्व ग्राम भोपालगढ़ जे.बी. तहसील भोपालगढ़ के खसरा नं. 3036 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी द्वितीय वादीगण ने उक्त खसरा की भूमि दिनांक 05.05.1978 को 1/2 हिस्सा खरीद किया था तथा शेष 1/2 हिस्सा भी वादीगण ने दिनांक 30.06.1978 को खरीद कर लिया। अतः पंजीयन दस्तावेजों के आधार पर तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

2. आया वादीगण वादग्रस्त आराजियात पर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है – वादीगण ने अपने हक–हिस्सों के बंटवाडें की मांग नही की है परन्तु धारा 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है, अविभाजित आराजी के किसी सहखातेदार को अपने हक–हिस्से तक स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अन्य सहखातेदारान प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अतः तनकी संख्या 02 वादीगण के विरूद्ध में निर्णीत की जाती है।

3. आया वादग्रस्त आराजी पर 1/2 हिस्सा के खातेदार प्रतिवादीगण है – राजस्व ग्राम भोपालगढ़ जे.बी. तहसील भोपालगढ़ के खसरा नं. 3036 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी द्वितीय वादीगण ने उक्त खसरा की भूमि दिनांक 05.05.1978 को 1/2 हिस्सा खरीद किया था तथा शेष 1/2 हिस्सा भी वादीगण ने दिनांक 30.06.1978 को खरीद कर लिया। अतः पंजीयन दस्तावेजों के आधार पर तनकी संख्या 03 प्रतिवादीगण के विरूद्ध में निर्णीत की जाती है।

4. आया प्रतिवादीगण वादीगण के विरूद्ध स्वयं के हिस्से की भूमि तक स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है– प्रतिवादी संख्या 01 से 05 ने अपने हक–हिस्सों के बंटवाडें की मांग नही की है परन्तु धारा 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है, अविभाजित आराजी के किसी सहखातेदार को अपने हक–हिस्से तक स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अन्य सहखातेदारान प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अतः तनकी संख्या 04 प्रतिवादीगण के विरूद्ध में निर्णीत की जाती है।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर मनन उपरान्त उपर्युक्त तनकीवार विवेचन के आलोक में वादीगण का वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाना तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 05 की ओर से प्रस्तुत काउंटर क्लेम खारिज किया जाना उचित समझते है। चूंकि वादीगण ने अपने हक–हिस्सों के बंटवाडें की मांग नही की है परन्तु धारा 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है, अविभाजित आराजी के किसी सहखातेदार को अपने हक–हिस्से तक स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अन्य सहखातेदारान प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 10:06:25 IST
Reason: SelfAttested

–:: आदेश ::–

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 05 की ओर से प्रस्तुत काउंटर क्लेम खारिज किया जाता है तथा ग्राम भोपालगढ़ जे.बी. तहसील भोपालगढ़ के खसरा नं. 3036 कुल रकबा 15 बीघा में 1/2 हिस्सा में गेहरा बाई पत्नि तुलछाराम जाति माली निवासी भोपालगढ़ को खातेदार

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार भोपालगढ़ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम भोपालगढ़ जे.बी. तहसील भोपालगढ़ के खसरा नं. 3036 में प्रतिवादी संख्या 01 से 05 का नाम विलोपित कर उनके स्थान पर गेहरा बाई पत्नि तुलछाराम जाति माली निवासी भोपालगढ़ के विधिक वारिसानों के नाम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करे। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार भोपालगढ़ को डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

14/10/21

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला जोधपुर (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

निर्णय आज दिनॉक 12/10/2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

12/10/21

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला जोधपुर (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 10:06:25 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :–सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला–जोधपुर
बईजलास :–श्री हवाई सिंह यादव,आर0ए0एस0

–: वादीगण :–	बनाम	–:प्रतिवादीगण :–
1. हेमाराम पुत्र तुलछाराम		1. डूंगरराम पुत्र जसाराम
2. मलाराम पुत्र तुलछाराम		2. कोजाराम पुत्र जसाराम
3. पेमाराम पुत्र तुलछाराम		3. रामजीवण पुत्र हेमाराम
4. राजाराम पुत्र घेवरराम		4. राजाराम पुत्र हेमाराम
5. झीपरराम पुत्र घेवरराम		5. सोहनी पत्नि हेमाराम जातियान माली निवासी भोपालगढ़ तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर
6. बादरराम पुत्र घेवरराम जातियान माली निवासी भोपालगढ़ तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर		6. तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व वाद बाबत् खातदेारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 — **मु0न0 :रा0वा0 स0: 35/2013**

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री मनोज कुमार जाखड़, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री अशोक सैनी अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 01 से 05 मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम भोपालगढ़ जे.बी. तहसील भोपालगढ़ के खसरा नं. 3036 कुल रकबा 15 बीघा में 1/2 हिस्सा में गेहरा बाई पत्नि तुलछाराम जाति माली निवासी भोपालगढ़ को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार भोपालगढ़ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम भोपालगढ़ जे.बी. तहसील भोपालगढ़ के खसरा नं. 3036 में प्रतिवादी संख्या 01 से 05 का नाम विलोपित कर उनके स्थान पर गेहरा बाई पत्नि तुलछाराम जाति माली निवासी भोपालगढ़ के विधिक वारिसानों के नाम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करे।तहसीलदार भोपालगढ़ को डिक्री पर्चा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **12/10/2021** को जारी किया गया ।

मोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 10:06:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला–जोधपुर (राज.)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–			मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

12/10/21

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ (जोधपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 10:06:25 IST
Reason: SelfAttested